

क्र०.	अवयव का नाम	न्यूनतम भूमि की आवश्यकता	इकाई लागत (लाख में)	अन्य वर्ग हेतु अनुदान (लाख में)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला वर्ग हेतु अनुदान (लाख में)	प्रस्ताव का प्रकार
20	आईस-प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण(न्यूनतम क्षमता 10 मैट्रिक टन)	2000 वर्ग फीट	36.50	16.00	24.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (DPR)
21	आईस-प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 20 मैट्रिक टन) एक टन के ब्लास्ट फ्रीजर सहित	5000 वर्ग फीट	80.00	32.00	48.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (DPR)
22	रेफ्रिजरेटेड वाहन	-	25.00	10.00	15.00	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
23	मोटरसाईकिल आईस-बॉक्स सहित तीन पहिया	-	0.75	0.30	0.45	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
24	वाहन/ई-रिक्शा आईस-बॉक्स सहित	-	3.00	1.20	1.80	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
25	साईकिल आईस-बॉक्स सहित	-	0.10	0.04	0.06	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
26	इनसुलेटेड वाहन	-	20.00	8.00	12.00	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
27	जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र का निर्माण	2000 वर्ग फीट	20.00	8.00	12.00	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
28	लघु फीड मील (क्षमता 2 टन प्रतिदिन)	4000 वर्ग फीट	30.00	12.00	18.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (DPR)
29	मध्यम फीड मील (क्षमता 8 टन प्रतिदिन)	12000 वर्ग फीट	100.00	40.00	60.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (DPR)
30	बृहद फीड मील (क्षमता 20 टन प्रतिदिन)	25000 वर्ग फीट	200.00	80.00	120.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (DPR)
31	बृहद फीड मील (क्षमता 100 टन प्रतिदिन)	2 एकड़	650.00	260.00	390.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (DPR)
32	फिश किऑस्क का निर्माण (एक्वेरियम एवं अलंकारी मछली सहित)	600 वर्ग फीट	10.00	4.00	6.00	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
33	मोबाईल फिश किऑस्क	-	10.00	4.00	6.00	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
34	ई-प्लेटफॉर्म (मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के ई-ट्रेडिंग एवं ई-मार्केटिंग हेतु)	-	10.00	4.00	6.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (DPR) / स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
35	प्रसार एवं सलाह सेवा (मत्स्य सेवा केन्द्र)	न्यूनतम 1000 वर्ग फीट का कमरा/ प्लेट/ भवन	25.00	10.00	15.00	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)

आवेदन की प्रक्रिया एवं लाभुकों का चयन :

- मत्स्य निदेशालय द्वारा राज्यस्तरीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा।
- विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट "fisheries.bihar.gov.in" पर समर्पित किया जाएगा।
- ऑनलाईन आवेदन में समर्पित दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्ति दस्तावेज के साथ आवेदक संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित करेंगे। प्राप्त आवेदनों को जिला मत्स्य कार्यालय में तिथिवार पंजी में संधारित किया जाएगा।

नोट: योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क करें अथवा पशुपालन विभाग के वेबसाईट state.bihar.gov.in/ahd पर जाए।



बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग



प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना



मत्स्य निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार
द्वारा जनहित में प्रकाशित

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

मात्स्यिकी एवं जल कृषि रोजगार, खाद्य एवं पोषणीय सुरक्षा, विदेशी मुद्रा आय और लाखों लोगों विशेषकर ग्रामीण जनसंख्या के आय में अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण विकास कार्यक्रम में एक अतुलनीय भूमिका अदा करती है। इसे देखते हुए देश में शाश्वत नीली क्रांति: लाने और मछुआरों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आरंभ किया है।

योजना का उद्देश्य: इसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता (Fish Production and Productivity) आधारभूत संरचना (Infrastructure) एवं शिकारमाही के पश्चात् प्रबंधन (Post-harvest management) से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य के मत्स्य कृषकों को वैज्ञानिक पद्धति आधारित मत्स्य बीज, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य विपणन, मत्स्य भंडारण, मत्स्य प्रसंस्करण एवं मत्स्य चारा उत्पादन आदि व्यवसाय द्वारा सत्त गुणवत्तापूर्ण खाने योग्य मछलियों की बाजार में उपलब्धता तथा इससे संबंधित लोगों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है।

योजना का विस्तार: इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के सामान्यतया सभी 38 जिलों में किया जा रहा है। लाभुक आधारित अवयवों में पात्रता के आधार पर एक व्यक्ति/परिवार को One Time आच्छादित किया जाना है।

पात्र आवेदक: मछुआरे, मत्स्य पालक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य मजदूर, मत्स्य विकास अभिकरण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त दैयता समूह, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, मत्स्य फेडरेशन, मत्स्य उद्यमी, कम्पनियाँ, मत्स्य उत्पादक समूह/संस्थान, अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग आदि।

अनुदान: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्गों की महिलाओं हेतु विभिन्न अवयव के लिए निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत अनुदान देय होगा। निर्धारित इकाई लागत की शेष राशि स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से लाभुकों के द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुदान का क्षेत्र, राशि एवं पात्रता: इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान का क्षेत्र, राशि, पात्रता का विवरण निम्नवत है—

क्र.	अवयव का नाम	न्यूनतम भूमि की आवश्यकता	इकाई लागत (लाख में)	अन्य वर्ग हेतु अनुदान (लाख में)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला वर्ग हेतु अनुदान (लाख में)	प्रस्ताव का प्रकार
1	मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन	3.00 एकड़	25.00	10.00	15.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR) / स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
2	मीठे जल के स्कैपी हैचरी का अधिष्ठापन	0.50 हेक्टर	50.00	20.00	30.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR)
3	नये तालाब का निर्माण	0.1 से 2.0 हेक्टर	7.00	2.80	4.20	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
4	नये तालाब हेतु इनपुट की योजना	0.1 से 2.0 हेक्टर	4.00	1.60	2.40	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)

क्र.	अवयव का नाम	न्यूनतम भूमि की आवश्यकता	इकाई लागत (लाख में)	अन्य वर्ग हेतु अनुदान (लाख में)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला वर्ग हेतु अनुदान (लाख में)	प्रस्ताव का प्रकार
5	रियरिंग तालाब का निर्माण	0.01 से 0.5 हेक्टर	7.00	2.80	4.20	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
6	बायोप्लॉक तालाब का निर्माण (4.00 लाख प्रति 01 हे० इनपुट सहित)	0.15 हेक्टर	14.00	5.60	8.40	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
7	जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन (प्रति हे० 1000 अंगुलिकाएँ 3 रुपये प्रति अंगुलिका के दर से)	अधिकतम 2 हेक्टर प्रति व्यक्ति / 20 हेक्टर प्रति समूह	0.03	0.01	0.02	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR) / स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
8	आर्द्रभूमि में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन (प्रति हे० 1000 अंगुलिकाएँ 3 रुपये प्रति अंगुलिका के दर से)	अधिकतम 2 हेक्टर प्रति व्यक्ति / 20 हेक्टर प्रति समूह	0.03	0.01	0.02	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR) / स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
9	लघु अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन इकाई	1200 वर्ग फीट	3.00	1.20	1.80	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
10	मध्यम आकार का अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन इकाई	2000 वर्ग फीट	8.00	3.20	4.80	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
11	समेकित अलंकारी मछलियों की इकाई	6000 वर्ग फीट	25.00	10.00	15.00	स्वयं निहित प्रस्ताव (SCP)
12	मनोरंजन मात्स्यिकी को बढ़ावा देने हेतु इकाई का अधिष्ठापन	1.0 हेक्टर	50.00	20.00	30.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR)
13	लघु आकार के आर०ए०एस० का अधिष्ठापन (100 घन मी० का 1 टैंक)	150 वर्ग मीटर	7.50	3.00	4.50	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR)
14	मध्यम आकार के आर०ए०एस० (30 घन मी० का 6 टैंक) का अधिष्ठापन	800 वर्ग मी०	25.00	10.00	15.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR)
15	बृहद् आकार के आर०ए०एस० (90 घन मी० का 8 टैंक) का अधिष्ठापन	1200 वर्ग मी०	50.00	20.00	30.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR)
16	मत्स्य पालन हेतु लघु बायोप्लॉक का अधिष्ठापन (4 मी० व्यास का 7 टैंक, ऊ० 1.5 मी०)	5000 वर्ग फीट	7.50	3.00	4.50	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR)
17	मध्यम बायोप्लॉक (4 मी० व्यास का 25 टैंक, ऊ० 1.5 मी०) का अधिष्ठापन	2000 वर्ग मीटर	25.00	10.00	15.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR)
18	बृहद् बायोप्लॉक (4 मी० व्यास का 50 टैंक, ऊ० 1.5 मी०) का अधिष्ठापन	3000 वर्ग मीटर	50.00	20.00	30.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR)
19	जलाशय/आर्द्रभूमि में केज का अधिष्ठापन	8 मीटर या अधिक जलस्तर (गहराई) वाले सदाबहार जलाशय/ आर्द्र जलक्षेत्र	3.00	1.20	1.80	विस्तृत परियोजना प्रतिवर्दन (DPR)